

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 29
आर्थिक कार्य विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	11756.86	77089.30	88846.16	12335.39	8470.70	20806.09	7583.96	8524.59	16108.55	4302.79	11153.05	15455.84	
वसूलियां	-2663.40	-4014.95	-6678.35	...	-2500.00	-2500.00	...	-2300.00	-2300.00	...	-2500.00	-2500.00	
प्राप्तियां	-532.73	-53116.64	-53649.37	-498.86	-1761.08	-2259.94	-520.20	-2047.19	-2567.39	-570.81	-1275.03	-1845.84	
निवल	8560.73	19957.71	28518.44	11836.53	4209.62	16046.15	7063.76	4177.40	11241.16	3731.98	7378.02	11110.00	
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. सचिवालय													
1.01	आर्थिक मामलों के विभाग	115.97	...	115.97	182.42	...	182.42	195.29	...	195.29	224.38	...	224.38
2. संबद्ध कार्यालय													
2.01	दूतावास, वाशिंगटन, बीजिंग, टोक्यो आदि के आर्थिक विंग	9.42	...	9.42	35.29	...	35.29	12.99	...	12.99	14.57	...	14.57
2.02	बायदा बाजार आयोग	7.88	...	7.88	4.10	...	4.10	3.16	...	3.16	1.80	...	1.80
2.03	सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण	4.96	...	4.96	8.75	...	8.75	8.47	...	8.47	9.47	...	9.47
2.04	पंद्रहवीं वित्त आयोग	10.00	...	10.00
	जोड़- संबद्ध कार्यालय	22.26	...	22.26	48.14	...	48.14	24.62	...	24.62	35.84	...	35.84
3. वास्तविक वसूलियाँ													
		-1.65	...	-1.65
	जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	136.58	...	136.58	230.56	...	230.56	219.91	...	219.91	260.22	...	260.22
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं													
4.	राष्ट्रीय निवेश और अवसरचना निधि (एनआईआईएफ)	...	0.04	0.04	4000.00	...	4000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00
5.	अर्थक्षमता अंतराल निधियन	420.00	623.50	1043.50	550.00	250.00	800.00	800.00	200.00	1000.00	450.00	100.00	550.00
ब्याज समकरण सहायता													
6.	भारतीय कंपनियां	500.00	...	500.00	15.75	...	15.75	48.16	...	48.16
7. एक्जिम बैंक													
7.01	सकल बजट	668.51	...	668.51	572.00	...	572.00	572.00	...	572.00	572.00	...	572.00
7.02	कम वसूली	-154.15	...	-154.15
	निवल	514.36	...	514.36	572.00	...	572.00	572.00	...	572.00	572.00	...	572.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-ब्याज समकरण सहायता	514.36	...	514.36	1072.00	...	1072.00	587.75	...	587.75	620.16	...	620.16
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	934.36	623.54	1557.90	5622.00	250.00	5872.00	2387.75	200.00	2587.75	2070.16	100.00	2170.16
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय अंशदान												
8. आईएमएफ दिल्ली के किराया लागत में अंशदान	0.22	...	0.22	0.24	...	0.24	0.24	...	0.24
9. अंतरराष्ट्रीय बचत बैंक संस्थान को अंशदान:	0.07	...	0.07	0.08	...	0.08	0.10	...	0.10
10. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)	86.32	...	86.32	84.00	...	84.00	84.00	...	84.00	84.00	...	84.00
11. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं:	55.99	...	55.99	61.64	...	61.64	63.42	...	63.42	66.56	...	66.56
12. एएफडीएफ के एमडीआरआई को अंशदान												
12.01 सकल बजटीय सहायता	2.57	...	2.57	2.67	...	2.67	2.67	...	2.67	2.80	...	2.80
12.02 कम सिक्योरिटीज के मुद्दे के माध्यम से मुलाकात	-2.57	...	-2.57	-2.67	...	-2.67	-2.67	...	-2.67	-2.80	...	-2.80
निवल
13. आईडीए को अंशदान												
13.01 सकल बजटीय सहायता	445.82	...	445.82	446.69	...	446.69	466.69	...	466.69	500.00	...	500.00
13.02 कम सिक्योरिटीज के मुद्दे के माध्यम से मुलाकात	-445.82	...	-445.82	-446.69	...	-446.69	-466.69	...	-466.69	-500.00	...	-500.00
निवल
14. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग:	49.29	...	49.29	49.96	...	49.96	53.08	...	53.08	53.10	...	53.10
15. एशियाई विकास निधि में अंशदान												
15.01 सकल बजटीय सहायता	48.09	...	48.09	49.50	...	49.50	50.84	...	50.84	0.01	...	0.01
15.02 कम सिक्योरिटीज के मुद्दे के माध्यम से मुलाकात	-48.09	...	-48.09	-49.50	...	-49.50	-50.84	...	-50.84	-0.01	...	-0.01
निवल
16. एशियाई विकास निधि में अंशदान-12												
16.01 सकल बजटीय सहायता	330.50	...	330.50	68.00	...	68.00
16.02 कम सिक्योरिटीज के मुद्दे के माध्यम से मुलाकात	-68.00	...	-68.00
निवल	330.50	...	330.50
17. एसईईटीएफ के लिए अंशदान	3.33	...	3.33
18. एसएआर टीटीएसी में अंशदान	100.82	...	100.82	124.60	...	124.60
19. एएफडीएफ के लिए अंशदान												
19.01 सकल बजटीय सहायता	36.25	...	36.25
19.02 कम सिक्योरिटीज के मुद्दे के माध्यम से मुलाकात	-36.25	...	-36.25
निवल
जोड़-अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय अंशदान	195.22	...	195.22	526.10	...	526.10	301.64	...	301.64	328.60	...	328.60
20. उधार के लिए नई व्यवस्था:												
20.01 सकल बजट	...	692.60	692.60	...	1486.04	1486.04	...	100.00	100.00	...	1000.00	1000.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
20.02 कम सिक्योरिटीज के मुद्दे के माध्यम से मुलाकात	...	-692.60	-692.60	...	-1486.04	-1486.04	...	-100.00	-100.00	...	-1000.00	-1000.00
<i>निवल</i>
21. मुद्रा, सिक्का और निर्माण:												
21.01 एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद	...	2311.80	2311.80	...	2500.00	2500.00	...	2300.00	2300.00	...	2500.00	2500.00
21.02 कम घटा वसूलियां	...	-2311.80	-2311.80	...	-2500.00	-2500.00	...	-2300.00	-2300.00	...	-2500.00	-2500.00
<i>निवल</i>
22. आरक्षित निधि												
22.01 गारंटी मोचन निधि	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00	500.00	...	500.00	600.00	...	600.00
22.02 गोल्ड आरक्षित फंड	50.00	...	50.00	146.25	...	146.25
22.03 राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष	100.00	...	100.00
22.04 केन्द्रीय सड़क निधि के लिए स्थानांतरण	2507.60	...	2507.60
22.05 रेलवे सुरक्षा वर्क्स के लिए बजट सहायता	2507.60	...	2507.60
22.06 केन्द्रीय सड़क निधि की वसूली घटा	-2507.60	...	-2507.60
<i>निवल</i>	2907.60	...	2907.60	300.00	...	300.00	550.00	...	550.00	746.25	...	746.25
23. अन्य परिवहन सेवाएं												
23.01 लाभांश राहतें और अन्य रियायतें और रेलवे को आर्थिक सहायता	3722.68	...	3722.68	4300.80	...	4300.80
23.02 सामरिक लाइनों के संचालन के लिए घाटे की प्रतिपूर्ति	638.81	...	638.81	820.00	...	820.00	3511.96	...	3511.96
<i>जोड़- अन्य परिवहन सेवाएं</i>	4361.49	...	4361.49	5120.80	...	5120.80	3511.96	...	3511.96
24. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग												
24.01 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की ओर व्यय / बैठक (एडीबी / एएफडीबी / सार्क / एसडीएफ / त्रिक्स - नए विकास बैंक	1.33	...	1.33	10.01	...	10.01	6.62	...	6.62	81.00	...	81.00
25. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश												
25.01 आईएफआई में निवेश	...	73339.50	73339.50	...	4081.66	4081.66	...	5719.89	5719.89	...	4360.05	4360.05
25.02 कम के मुद्दे के माध्यम से मुलाकात की प्रतिभूति (एडीबी / एफ, एएफडीबी / एफ, आईएमएफ)	...	-52181.60	-52181.60	...	-0.04	-0.04	...	-1672.19	-1672.19	...	-0.03	-0.03
25.03 घटा वसूलियां	...	-1702.62	-1702.62
<i>निवल</i>	...	19455.28	19455.28	...	4081.62	4081.62	...	4047.70	4047.70	...	4360.02	4360.02
26. अन्य व्यय:												
26.01 समय वर्जित मामलों में केन्द्रीय प्रतिभूतियों पर व्याज भुगतान और लावारिस प्रतिभूति के संबंध में भुगतान सरकार लेखा को श्रेय दिया।	0.09	...	0.09	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
26.02 संरक्षित बचत योजनाएं	0.03	...	0.03	0.02	...	0.02	0.03	...	0.03
26.03 आकलन के आरोप आईएमएफ को देय	0.61	...	0.61	0.61	...	0.61	1.32	...	1.32	1.32	...	1.32
26.04 अन्य सामान्य आर्थिक सेवा के अंतर्गत अन्य व्यय	12.96	...	12.96	16.86	...	16.86	28.38	...	28.38
26.05 एमडीआर प्रभार	50.00	...	50.00	200.00	...	200.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
26.06 नई योजनाएं	3000.00	3000.00
जोड़- अन्य व्यय:	13.66	...	13.66	0.66	...	0.66	68.22	...	68.22	229.75	3000.00	3229.75
27. सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण												
27.01 गृह निर्माण अग्रिम	...	42.33	42.33	...	26.00	26.00	...	76.00	76.00	...	75.00	75.00
27.02 मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	...	40.16	40.16	...	69.00	69.00	...	67.88	67.88
27.03 अन्य वाहन की खरीद के लिए अग्रिम	...	0.86	0.86	...	0.90	0.90	...	1.00	1.00
27.04 कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	...	38.45	38.45	...	54.00	54.00	...	55.00	55.00	...	75.00	75.00
27.05 अन्य अग्रिमों	...	0.07	0.07	...	0.10	0.10	...	0.12	0.12
27.06 कम प्राप्ति - गृह निर्माण अग्रिम	...	-98.68	-98.68	...	-125.00	-125.00	...	-125.00	-125.00	...	-125.00	-125.00
27.07 कम प्राप्ति - वाहन अग्रिम।	...	-82.22	-82.22	...	-75.00	-75.00	...	-75.00	-75.00	...	-75.00	-75.00
27.08 कम प्राप्ति - अन्य अग्रिम, आदि	...	-61.54	-61.54	...	-75.00	-75.00	...	-75.00	-75.00	...	-75.00	-75.00
निवल	...	-120.57	-120.57	...	-125.00	-125.00	...	-75.00	-75.00	...	-125.00	-125.00
28. लघु बचत योजनाएं	10.49	...	10.49	17.90	...	17.90	13.66	...	13.66	16.00	...	16.00
29. सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क	8.50	...	8.50	4.00	...	4.00
30. बजट के लिए मशीनों की खरीद	1.00	1.00	...	2.50	2.50	...	1.00	1.00
31. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं में पूंजी परिव्यय:												
31.01 सकल बजटीय सहायता	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
31.02 घटा वसूलियां	...	-0.54	-0.54
निवल	...	-0.54	-0.54	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
32. आवास संबंधी पूंजी परिव्यय:	0.20	0.20	...	40.00	40.00
जोड़-अन्य	7489.79	19334.17	26823.96	5983.97	3959.62	9943.59	4456.10	3977.40	8433.50	1401.60	7278.02	8679.62
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	7489.79	19334.17	26823.96	5983.97	3959.62	9943.59	4456.10	3977.40	8433.50	1401.60	7278.02	8679.62
कुल जोड़	8560.73	19957.71	28518.44	11836.53	4209.62	16046.15	7063.76	4177.40	11241.16	3731.98	7378.02	11110.00
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. अन्य राजकोपीय सेवाएं	9.26	...	9.26	17.90	...	17.90	13.98	...	13.98	16.34	...	16.34
2. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	115.96	...	115.96	182.42	...	182.42	195.29	...	195.29	224.38	...	224.38
3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	4.85	...	4.85	8.75	...	8.75	8.47	...	8.47	19.47	...	19.47
4. विविध सामान्य सेवाएं	300.09	...	300.09	300.02	...	300.02	500.02	...	500.02	600.02	...	600.02
5. मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूंजी परिव्यय
6. लेखन सामग्री और छपाई पर पूंजी परिव्यय	1.00	1.00	...	2.50	2.50	...	1.00	1.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	430.16	...	430.16	509.09	1.00	510.09	717.76	2.50	720.26	860.21	1.00	861.21
सामाजिक सेवाएं												
7. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	8.53	...	8.53	4.02	...	4.02	0.03	...	0.03

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. आवास पर पूंजी परिव्यय	0.20	0.20	...	40.00	40.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	8.53	...	8.53	4.02	0.20	4.22	0.03	40.00	40.03
आर्थिक सेवाएं												
9. कृषि वित्तीय संस्थान	86.32	...	86.32	84.00	...	84.00	84.00	...	84.00	84.00	...	84.00
10. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	100.00	...	100.00
11. सड़क और पुल	2507.60	...	2507.60
12. अन्य परिवहन सेवाएं	4361.49	...	4361.49	5120.80	...	5120.80	3511.96	...	3511.96
13. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	4000.00	...	4000.00	1050.00	...	1050.00	1200.00	...	1200.00
14. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	3.94	...	3.94	331.11	...	331.11	102.14	...	102.14	125.92	...	125.92
15. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	506.24	...	506.24	651.03	...	651.03	946.43	...	946.43	707.56	...	707.56
16. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	...	0.04	0.04
17. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	...	19455.28	19455.28	...	4081.62	4081.62	...	4047.70	4047.70	...	4360.02	4360.02
18. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	622.96	622.96	...	252.00	252.00	...	202.00	202.00	...	3102.00	3102.00
19. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण
जोड़-आर्थिक सेवाएं	7565.59	20078.28	27643.87	10186.94	4333.62	14520.56	5694.53	4249.70	9944.23	2117.48	7462.02	9579.50
अन्य												
20. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	564.98	...	564.98	1131.97	...	1131.97	647.45	...	647.45	754.26	...	754.26
21. सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	...	-120.57	-120.57	...	-125.00	-125.00	...	-75.00	-75.00	...	-125.00	-125.00
जोड़-अन्य	564.98	-120.57	444.41	1131.97	-125.00	1006.97	647.45	-75.00	572.45	754.26	-125.00	629.26
कुल जोड़	8560.73	19957.71	28518.44	11836.53	4209.62	16046.15	7063.76	4177.40	11241.16	3731.98	7378.02	11110.00

- सचिवालय:** यह प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।
- संबद्ध कार्यालय:** यह प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के संबद्ध कार्यालयों अर्थात् वार्शिंगटन, बीजिंग, टोक्यो दूतावास के आर्थिक स्कन्ध आदि, फॉरवर्ड बाजार आयोग (एफएमसी), प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी), पंद्रहवां वित्त आयोग के स्थापना व्यय के लिए है।
- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ):** यह प्रावधान राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि को अंतरण के लिए है।
- अर्थक्षमता अंतराल निधियन:** यह प्रावधान सरकारी निजी साझेदारी (पीपीपी) योजना के अंतर्गत अर्थक्षमता अंतराल निधियन (वी.जी.एफ.) के प्रावधान के माध्यम से अवसंरचना परियोजनाओं को वजतीय सहायता प्रदान करने के लिए है।
- भारतीय कंपनियां:** इस प्रावधान में भारतीय कंपनियों के लिए ब्याज समता सहायता शामिल है।
- एक्जिम बैंक:** इस प्रावधान में भारत के एक्जिम बैंक को दी जा रही ब्याज समता सहायता शामिल है।
- आईएमएफ दिल्ली के किराया लागत में अंशदान:** यह प्रावधान आईएमएफ दिल्ली के किराया लागत में अंशदान के लिए है।
- अंतरराष्ट्रीय बचत बैंक संस्थान को अंशदान:** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय बचत बैंक संस्थान को अंशदान देने के लिए है।
- अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी):** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) को अंशदान देने के लिए है।

11. **अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं:** यह प्रावधान अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं (तकनीकी सहयोग हेतु राष्ट्रमंडल निधि, अफ्रीकी विकास बैंक के साथ तकनीकी सहयोग, राजाकोपीय संबंधों संबंधी आर्थिक सहभागिता और विकास नेटवर्क संगठनों को अंशदान, एफएटीएफ को सदस्यता, अंशदान, काले धन को वैध बनाने और आतंकवादी वित्तपोषण संबंधी रोक लगाने वाले यूरेशियन समूह, जीएफएटीएम और जीएवीआई को अंशदान के अंतर्गत अंशदान देने के लिए है।
12. **एफडीएफ के एमडीआरआई को अंशदान:** यह प्रावधान अफ्रीकी विकास निधि के बहुपक्षीय ऋण राहत पहल में अंशदान करने के लिए है।
13. **आईडीए को अंशदान:** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को अंशदान देने के लिए है।
14. **अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग:** यह प्रावधान अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में अंशदान, वैश्विक पर्यावरण न्यास निधि आदि में अंशदान) में अंशदान के लिए है।
15. **एशियाई विकास निधि में अंशदान:** यह प्रावधान एशियाई विकास निधि में अंशदान करने के लिए है।
16. **एशियाई विकास निधि में अंशदान-12:** यह प्रावधान एशियाई विकास निधि-12 में अंशदान करने के लिए है।
18. **एसएआर टीटीएसी में अंशदान:** यह प्रावधान दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र में अंशदान के लिए है।
20. **उधार के लिए नई व्यवस्था:** यह प्रावधान उधार लेने की नई व्यवस्था में निवेश के लिए नोट खरीद करार को आगे बढ़ाने के लिए है।
21. **मुद्रा, सिक्का और निर्माण:** यह प्रावधान भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और सिक्का निर्माण निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद के लिए है।
22. **आरक्षित निधि:** यह प्रावधान गारंटी मोचन निधि, सॉवरेन स्वर्ण बांड निधि में अंतरण के लिए है।
24. **अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग:** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन/बैठक/एडीबी/एफडीबी/ब्रिक्स-एनडीबी/सार्क/एसडीएफ के लिए है।
25. **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश:** इसमें एशियाई विकास बैंक को अभिदान, एशियाई प्रथात अवसंरचना निधि को अभिदान, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, सार्क विकास निधि अफ्रीकी विकास बैंक को अभिदान और भारत का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोषय में निवेश तथा मूल्य वर्धन का अनुरक्षण दायित्व के लिए प्रावधान शामिल है। इस प्रावधान में भारत का आईएमएफ में उधार देने वाले संसाधनों के साथ-साथ ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, न्यू डेवलपमेंट बैंक में अंशदान भी शामिल है।
26. **अन्य व्यय:** यह प्रावधान केंद्रीय प्रतिभूति समयबद्ध मामलों में ब्याज भुगतान और सरकारी खातों में संरक्षित बचत स्कीमों में जमा दावा न की गई प्रतिभूतियों के भुगतान, आईएमएफ को भुगतान योग्य निर्धारण प्रभार, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं आदि के लिए है। प्रावधान एमडीआर प्रभारों की प्रतिपूर्ति की दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक को भुगतान के लिए किया जाता है।

- 26.06. **नई योजनाएं:** यह प्रावधान बजट भाषण 2017 -18 में उनमें शामिल नई घोषणाओं के लिए है। अपेक्षित राशि संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उपयुक्त पूरक मांगों/पुनर्विनियोग के जरिए प्रदान की जाएगी।
27. **सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण:** यह एक समेकित मांग है जिसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों और उनके अधीनस्थ संगठनों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन हेतु अपने कर्मचारियों को ऋणों और अग्रिमों के भुगतान के लिए प्रावधान है। इसमें आवास खरीदने के लिए संसद सदस्यों को अग्रिम देने हेतु प्रावधान भी शामिल है।
- जिस प्रयोजन से सब्याज ऋण अग्रिम दिया जाता है उनमें मकान निर्माण और कम्प्यूटरों आदि की खरीद शामिल है।
28. **लघु बचत योजनाएं:** यह प्रावधान राष्ट्रीय बचत संस्थान के सचिवालयी व्यय और सरकार की लघु बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए है।
29. **सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क:** यह प्रावधान सामाजिक सुरक्षा तंत्र के लिए है।
30. **बजट के लिए मशीनों की खरीद:** यह प्रावधान बजट के लिए मशीनों की खरीद के लिए है।
31. **अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं में पूंजी परिव्यय:** यह प्रावधान भारतीय अवसंरचना परियोजना विकास कोष के लिए है, जो संभाव्य पीपीपी परियोजनाओं के परियोजना विकास खर्च का 75 प्रतिशत तक अंशदान करता है, जिसमें परामर्शदाताओं को कार्य पर लगाने की लागत आदि भी शामिल है, जिसको बाद में सफल बोली दाताओं
32. **आवास संबंधी पूंजी परिव्यय:** यह प्रावधान आईईएस अधिकारियों के लिए दिल्ली में 90 आवासों के निर्माण के लिए रखा गया है।